

विश्वभारती विश्वविद्यालय की कार्यपद्धति में परिवर्तन

* 327A. श्री श्रीकृष्ण परशराम : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विश्व-भारती विश्वविद्यालय की वर्तमान कार्य-पद्धति में परिवर्तन करने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बाते क्या हैं; और

(ग) उसे कब तक कार्यान्वित करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नृबल हसन) : (क) से (ग). विश्व भारती का विकास किस ढंग से किया जाए यह निश्चित करने तथा विश्व भारती अधिनियम में संशोधन करने के लिए मार्ग दर्शी सिद्धान्तों की सिफारिश करने हेतु सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति एस० ए० मसूद की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

Central Inland Water Transport Corporation

* 329A. SHRI FATESINGHRAO GAEKWAD: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the Central Inland Water Transport Corporation is incurring losses during the past years;

(b) if so, the reason therefor; and

(c) the action taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI KAMLA-PATI TRIPATHI): (a) Yes, Sir.

(b) The main reason is attributable to the loss in running of river services due to increased operational cost of old fleet on account of heavy fleet repairs as also dearth of traffic from Calcutta to Assam and from Bangladesh to Calcutta.

(c) Steps for rehabilitation of the fleet strength of the Corporation as also for securing more traffic are being taken

बिहार के गय, हजारीबाग तथा कोडरमा में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों का कम पाया जाना

* 330A. श्री शंकर बख्त सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मत छ: महीनों में बिहार के गया, हजारीबाग और कोडरमा में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों की वास्तविक मात्रा उस मात्रा से काफी कम पायी गयी, जो वहाँ होनी चाहिए थी ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस बारे में किसी को दोषी पाया गया है, और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब धी० शिन्दे) : (क) से (ग). यह सूचित किया गया है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा गया जियो में हुए ही में बोरियों की बाह्य तरफ से गिनती कराने पर कोई कमी नहीं पायी गयी थी। जहाँ तक कोडरमा जियो का सम्बन्ध है, फरवरी, 1974 के पहले सप्ताह में प्राप्त और निर्यात के बारे में प्रांथ की गई थी। 11-10-1973 से प्रांथ

खोजाओं और पहली फरवरी, 1974 तक पूर्णतया जारी न किए गए खाद्यान्नों के बारे में यह पाया गया था कि 37,887 बोरियों में (वजन 35,025 किबंटल) कुल 2,663 किबंटल की कमी थी। डिपो के एक कर्मचारी को भ्रष्टाचार किया जा रहा है और इस मामले में विभागीय जांच की जा रही है। हजारीबाग में भारतीय खाद्य निगम का कोई गोदाम नहीं है।

विलासपुर-डाल्टनगंज सड़क को राष्ट्रीय राजपथ के रूप में स्वीकार किया जाना

* 331A. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या नौबहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में विलासपुर (मध्य प्रदेश) से बिहार में डाल्टनगंज तक की सड़क को राष्ट्रीय राजपथ के रूप में स्वीकार किया गया है; और

(ख) यदि हा, तो उक्त सड़क पर कितने ऐसे स्थान हैं जहां पुलिया और खांचों (रवटस) का निर्माण होना है ?

नौबहन और परिवहन मंत्री (श्री कल्याणलाल त्रिगर्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Completion of All-Weather Port at Ratnagiri (Maharashtra)

* 332A. SHRI NIMBALKAR: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state whether the completion of the all-weather port at Ratnagiri in Maharashtra is expected before the end of the Fifth Five Year Plan period?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI KAMLA-PATI TRIPATHI): The first stage development of Ratnagiri approved as a Centrally Sponsored Scheme in the Fourth Plan has been completed. The proposed provision in the Fifth Plan for Centrally sponsored minor ports schemes is limited only to spill over schemes and no outlay has been provided for new schemes. Further development of Ratnagiri will have to be provided for by the State Government as part of the State Plan.

उचित मूल्य की दुकानों में चीनी की घटिया किस्म के लिये अच्छी किस्म के मूल्य वसूल किया जाना

* 333A. श्री भावीरथ भंडर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित मूल्य की दुकानों द्वारा घटिया किस्म की ही चीनी बेची जाती है लेकिन उपभोक्ताओं से अच्छी किस्म की चीनी के दाम वसूल किये जाते हैं, और

(ख) यदि हा, तो क्या इस बारे में उन दुकानदारों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मोर्च) : (क) और (ख) - केन्द्रीय सरकार को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। तथापि, राज्य सरकारों को समय समय पर चीनी की वितरण मशीनरी को सक्षम बनाने और उसमें सुधार लाने, राशन उचित मूल्य के दुकानदारों द्वारा कटाव कराने की गुंजाइश न रहने देने के लिए उचित मूल्य की दुकानों आदि द्वारा खुली बिक्री की चीनी की बिक्री पर रोक लगाने की सलाह दी गई है। स्थानीय वितरण सम्बन्धी प्रबन्धों के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं।